

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गए प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
17	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	आवेदक संस्थान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह संभाग दमोह के Online प्रस्ताव FP/MP/ROAD/43629/2019 में वन मंडल अधिकारी दमोह द्वारा प्रस्ताव के Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दमोह के परिक्षेत्र तारादेही के वन कक्ष क्रमांक RF231, 233 एवं 234 में तारादेही-पौड़ी-चंदना मार्ग लम्बाई 11KM की चौड़ीकरण कार्य हेतु प्रभावित 0.954 हेक्ट. वनभूमि उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा।

तिथि:- 13/05/2020

स्थान:- सागर


(अमित कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर